न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 335/2022 दायर दिनाँक 10.08.2022

वादी

1. रहमत बानो पत्नी स्व0 मंगतुखां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना,जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. ईमरादेवी पुत्री लुणाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम
3. कानीपुरी पुत्र किशनलाल
4. गुलाबचन्द पुरी पुत्र किशनलाल
5. गीतादेवी पत्नी श्रवणलाल
6. जुगल पुत्र लुणाराम
7. तुलछीराम पुत्र लुणाराम फौत

7/1 गणपतिदेवी पत्नी तुलछीराम

7/2 मोहनलाल पुत्र तुलछीराम

7/3 मंगलचन्द पुत्र तुलछीराम

7/4 पुनम देवी पुत्री तुलछीराम

7/5 राजूदेवी पुत्री तुलछीराम

8. पुनमचन्द पुत्र किशनलाल
9. मन्जू पुत्री श्रवणलाल
10. मोहनी पुत्री किशलाल
11. राधा पुत्री किशनलाल
12. हीरा पुत्री किशनलाल समस्त जाति माली निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0
13. उम्मेदखां पुत्र इनायत खां
14. कालूखां पुत्र इनायत खां जाति पठान निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना
15. डुगरराम पुत्र खेताराम जाति जाट नि0 गुणपालिया तह0 ,लाडनूं नागौर
16. ताराचन्द पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी कवरपुरा तह0 सीकर, सीकर
17. मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तह0 डीडवाना
18. हेमाराम पुत्र जवानाराम जाति जाट निवासी पालोट तह0 डीडवाना नागौर
19. प्रवीण पुत्री मंगतुखां
20. सबीना पुत्री मंगतुखां
21. नजमा पुत्री मंगतुखां
22. रेशमा बानो पुत्री मंगतुखां
23. नसीम बानो पुत्री मंगतुखां
24. साजिदा बानो पुत्री मंगतुखां समस्त जाति पठान नि0 डीडवाना, नागौर
25. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो0 युनूस सलीम वकील प्रतिवादी सं0 19 ता 24।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 13.08.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया के पति मंगतु खां की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 बारानी 2 भूमि मौजा ग्राम पठानों का बाढ़ पटवार हल्का, सिंघाना, भू–अभिलेख नि0 क्षैत्र डीडवाना तहसील डीडवाना में अवस्थित है। जिसकी नकल खतौनी वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादिया के नाम से जारी सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय–पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक एकाउन्ट आदि में वादिया के पति का नाम मंगतु खां दर्ज हो रखा है जबकि उक्त खसरा की भूमि में वादिया के पति का नाम मंगनु खां दर्ज हो रखा है।

यह है कि खेत खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 बारानी 2 भूमि मौजा ग्राम पठानों का बाढ़ में मंगनु खां के स्थान पर मंगतु खां राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड में उक्त खेत खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 बारानी 2 भूमि मौजा ग्राम पठानों का बाढ़ में वादिया के पति का नाम मंगनु खां दर्ज होने से तथा मंगनु खां के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिशान वादिया व प्रतिवादी सं0 19 ता 24 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से के.सी.सी. व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वादिया को यह दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का वाद पेश करने से बमुकाम पठानों का बाढ़ पैदा हुआ है, जो लगातार पैदा हो रहा है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

1. यह है कि वादीया के खेत खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 बारानी 2 भूमि मौजा ग्राम पठानों का बाढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में पति के नाम मंगनू खां के स्थान पर मंगतु खां राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा मंगतु खां की फौतगी के पश्चात उनके वारिसाान वादी व प्रतिवादीगण सं0 19 ता 24 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08, 15 ता 18, 25 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण सं0 19 ता 24 की तरफ से वकील श्री मो0 युनूस सलीम ने इकबालिया जवाब व वकालतनामा प्रस्तुत किया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2023/864 दिनांक 21.12.2023 अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया सरहद पठानों का बाढ के खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 भूमि में वादिया राजस्व रिकॉर्ड में पति के नाम मंगनू खां के स्थान पर मंगतु खां राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने की इस्तदुआ कर रही है।/ वाद की पुष्टि में तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2023/864 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार मंगनू खां पुत्र इनायत खां के स्थान पर मंगतू खां पुत्र इनायत खां दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में वादिया का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर सरहद पठानों का बाढ के खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर मंगनू खां पुत्र इनायत खां के स्थान पर मंगतू खां पुत्र इनायत खां दुरूस्त किया जाता है तथा वादीया व प्रतिवादी सं0 19 ता 24 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी)
डीडवाना
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.08.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,

बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 335/2022 दायर दिनाँक 10.08.2022

वादी

1. रहमत बानो पत्नी स्व0 मंगतुखां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना,जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. ईमरादेवी पुत्री लुणाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम
3. कानीपुरी पुत्र किशनलाल
4. गुलाबचन्द पुरी पुत्र किशनलाल
5. गीतादेवी पत्नी श्रवणलाल
6. जुगल पुत्र लुणाराम
7. तुलछीराम पुत्र लुणाराम फौत

7/1 गणपतिदेवी पत्नी तुलछीराम
7/2 मोहनलाल पुत्र तुलछीराम
7/3 मंगलचन्द पुत्र तुलछीराम
7/4 पुनम देवी पुत्री तुलछीराम
7/5 राजूदेवी पुत्री तुलछीराम

8. पुनमचन्द पुत्र किशनलाल
9. मन्जू पुत्री श्रवणलाल
10. मोहनी पुत्री किशलाल
11. राधा पुत्री किशनलाल
12. हीरा पुत्री किशनलाल समस्त जाति माली निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0
13. उम्मेदखां पुत्र इनायत खां
14. कालूखां पुत्र इनायत खां जाति पठान निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना
15. डुगरराम पुत्र खेताराम जाति जाट नि0 गुणपालिया तह0 लाडनूं नागौर
16. ताराचन्द पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी कवरपुरा तह0 सीकर, सीकर
17. मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तह0 डीडवाना
18. हेमाराम पुत्र जवानाराम जाति जाट निवासी पालोट तह0 डीडवाना नागौर
19. प्रवीण पुत्री मंगतुखां
20. सबीना पुत्री मंगतुखां
21. नजमा पुत्री मंगतुखां
22. रेशमा बानो पुत्री मंगतुखां
23. नसीम बानो पुत्री मंगतुखां
24. साजिदा बानो पुत्री मंगतुखां समस्त जाति [illegible] डीडवाना, नागौर
25. तहसील [illegible] डीडवाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनाँक 13.08.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री मो0 युनूस सलीम वकील प्रतिवादी सं0 19 ता 24 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद पठानों का बाढ के खसरा सं0 5 रकबा 7.4100 हैक्टे0 भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर मंगनू खां पुत्र इनायत खां के स्थान पर मंगतू खां पुत्र इनायत खां दुरूस्त किया जाता है तथा वादीया व प्रतिवादी सं0 19 ता 24 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.....................–................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner